कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून

*Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand*

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2531072 E-mail: cehq.pwd-uk@gov.in

Web-http:// pwd.uk.gov.in

पत्रांक-54 /10अधि०प्रा०नि०/16 दिनांक-21/01/2016

: परिपत्र :

विभागीय आगणनों में कन्टीजेन्सी के प्राविधानों के सम्बन्ध में वर्तमान में लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा गठित किये जा रहे मार्गो एवं सेतुओं के नव निर्माण एवं पुर्ननिर्माण कार्यो के आगणनों में कुल आगणित लागत का 3 प्रतिशत कन्टीजेन्सी एवं 1 प्रतिशत गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्राविधान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में MoRTH द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अध्ययन के उपरान्त कन्टींजेन्सी एवं गुणवत्ता नियन्त्रण के कार्यो में निम्नानुसार मदों का कार्य किया जाय ताकि आगणनों में प्राविधानित 3% आकस्मिक निधि(कन्टींजेन्सी) तथा 1 प्रतिशत गुणवत्ता नियन्त्रण की मदों का सदुपयोग हो सके।

**कन्टींजेन्सी :-** 3% में कन्टींजेन्सी के अन्तर्गत निम्मानुसार कार्य कराया जाये।

1. निविदा प्रपत्रों का मुद्रण जिसमें समाचार पत्रों में कार्य की निविदा सूचना का प्रकाशन, एवं इस हेतु समस्त आवश्यक स्टेशनरी सम्मिलित है।
2. टेन्डर प्रीमियम।
3. अर्बिट्रेशन/कोर्ट केसेज हेतु व्यय।
4. निर्माण के दौरान अस्थाई डायवर्जन मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण।
5. डायवर्जन मार्गों पर यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा हेतु Regular/Caution Sign Boards का प्राविधान।
6. किसी अप्रत्याशित घटना/आपात काल की स्थिति में यातायात की सुरक्षा एवं प्रबन्धन।
7. प्रलेखन (Documentation) चार्जेज एवं कम्प्यूटर आपरेटर एवं कम्प्यूटर से संबंधित समस्त स्टेशनरी।
8. निर्माण कार्य के दौरान वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी।
9. अस्थाई साईट ऑफिस/मेन्टिनेन्स हट्स्।
10. निर्माण कार्यो के निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहन एवं POL (Petrol/Diesel Oil and Lubricants)
11. निर्माण कार्य से संबंधित विद्युत/जल/नगरपालिका/टेलीफोन इत्यादि के देयकों का भुगतान।
12. उपरोक्त मदों के अतिरिक्त किसी अन्य अप्रत्याशित मद का प्राविधान संबंधित प्राविधिक स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी किन्तु न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त।

**गुणवत्ता नियन्त्रण :-** गुणवत्ता नियन्त्रण में 1 प्रतिशत के अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जाये-

1. गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विशिष्ट रूप से नियुक्त/आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए Supervisory Staff का प्राविधान
2. फील्ड प्रयोगशाला की स्थापना एवं समस्त आवश्यक Testing Equipments को क्रय करने अथवा उनके हायर चार्जेज तथा उनके अनुरक्षण में होने वाला व्यय।

क्रमशः -2-

3. गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यथा केमिकल्स, फिल्टर पेपर, आयॅल इत्यादि।
4. गुणवत्ता नियंत्रण के जिन परीक्षणों को विभागीय प्रयोगशाला में करवाया जाना संभव नहीं है, उन्हें किसी मान्यता प्राप्त बाह्रय एजेन्सी / प्रयोगशाला में करवाए जाने हेतु Testing Charges के रूप में होने वाला व्यय।
5. परीक्षण सामग्री, गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ एवं उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु व्यय।
6. फील्ड प्रयोगशाला हेतु कम्प्यूटर एवं उससे संबंधित स्टेशनरी।
7. फील्ड स्टाफ के तकनीकी ज्ञानवर्द्धन एवं updation हेतु व्यय जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं :—

   (i) फील्ड स्टाफ को विशिष्टियों की जानकारी एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
   (ii) नवीनतम विशिष्टियों तथा IRC एवं अन्य codes एवं सम्बन्धित पुस्तकों को क्रय करना।

8. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने हेतु निर्माण प्रणाली एवं सामग्री से संबंधित नवीन तकनीकों का प्रयोगात्मक रूप में प्रयोग करना।
9. गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आगणित लागत के 1 प्रतिशत की 0.25 प्रतिशत धनराशि समस्त खण्डों द्वारा संबंधित जिले में स्थापित विभागीय प्रयोगशाला के रखरखाव एवं संचालन हेतु संबंधित खण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः आगणनों में 3% आकस्मिक व्यय (contingencies) तथा 1% गुणवत्ता नियंत्रण के प्राविधानों के अन्तर्गत इन मदों के नियमित एवं प्रभावी सदुपयोग एवं व्यय के लिए उपरोक्तानुसार शासन स्तर से निर्देशों की आवश्यकता है ताकि प्राविधानों के अनुरूप ही अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा मदानुसार व्यय किया जाए ना कि अपने विवेक से अन्य मदों पर।

(एच0के0उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित—

1. सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर—1 (मुख्यालय), लो0नि0वि0, देहरादून।
3. विशेष कार्याधिकारी, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सिविल / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / आपदा / वर्ल्ड बैंक / पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून / पौड़ी / टिहरी / हल्द्वानी / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / आपदा / वर्ल्ड बैंक / पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्रीमती रचना थपलियाल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय को वेबसाईट पर डालने हेतु।
7. प्रति स्वंय को।

21/1/16

प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0